

कार्यालय मुख्य अग्निशामन  
पत्र संख्या: सीएफओ/निरी०/२०१०-१२  
सेवा में,

अधिकारी जालौन  
दिनांक मई , २०१२

श्री सुभाषा चन्द्र गुप्ता एवं सन्देशा चन्द्र गुप्ता  
पुत्रगणा स्व० श्री बाबूलाल गुप्ता  
निवासी ११/२ सिविल लाइन झांसी

विषय:-

श्री सुभाषा चन्द्र गुप्ता एवं श्री सन्देशा चन्द्र गुप्ता पुत्रगणा स्व० श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी ११/२ सिविल लाइन झांसी द्वारा आराजी नं० ४५६ व ४७७ स्थित मौजा बिजौली राजगढ़ में प्रास्ताविक स्थल का अग्निशामन सुरक्षा की दृष्टि कोण से निरीक्षण एवं मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अग्निशामन सुरक्षा की दृष्टि कोण से निरीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

आपके आवेदन पत्र के साथ सलग्न मानचित्र के आधार पर अग्निशामन अधिकारी मॉठ/झांसी द्वारा निरीक्षण करके अपनी आख्या दिनांक १८-४-२०१२ को उपलब्ध करायी गयी । उपरोक्त के क्रम में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया २००५ एवं विकास प्राधिकरण भावन निर्माण उपविधि २००८ के अनुसार आपके आवेदन पत्र के साथ सलग्न मानचित्र के आधार पर अग्निशामन अधिकारी मॉठ/झांसी द्वारा निरीक्षण करके अपनी आख्या दिनांक १८-४-२०१२ द्वारा स्पष्ट किया है कि-

- १- मानचित्र में १२ मी० चौड़ा पहुँच मार्ग दर्शाया गया है जो स्पष्ट है ।
- २- सेटबैक ०९ मी० चारों तरफ है जो मानचित्र में दर्शाया गया है ।
- ३- जीने की चौड़ाई १.५ मी० है जो मानचित्र में स्पष्ट है ।
- ४- बेन्टीलेशन फ्लोर एरिया का २.५ प्रतिशत है जो मानचित्र में स्पष्ट है ।

उपलब्ध कराये गये मानचित्र का परीक्षण करने पर पाया गया कि पहुँच मार्ग जो झांसी ललितपुर रोड में मिलता है । न्यूनतम १२ मी० चौड़ा है भावन के चारों तरफ ०९ मी० चौड़ा सेटबैक छोड़ा गया है । ०९ मी० चौड़े सेटबैक में पार्किंग भी प्रदर्शित की गई है । अतः ०६ मी० चौड़े मोटरे बुल्ल सेटबैक जिसपर ४५ टन क्षमता की मशीनें आ जा सकें सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करके रखा जायेगा शेष ०३ मी० पार्किंग में इस प्रकार का कोई निर्माण नहीं कराया जायेगा जिससे अग्निशामन वाहनों के आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा । लैण्ड स्केप प्लान के ड्राईव ०६ मी० चौड़ा रखना आवश्यक होगा ।

मानचित्र में प्रदर्शित सेटबैक का अतिक्रमण किसी भी दशा में स्थायी अथावा निर्माण कर वाधित नहीं किया जायेगा और वृक्षारोपण भी सेटबैक

में नहीं किया जायेगा। पाकिंग इस प्रकार की जा सकती है कि आवश्यकता पडने पर कारों को हटवाकर उसका उपयोग भी अग्निशामन विभाग द्वारा आपात कालीन स्थितियों में किया जा सकता है। भवन की कुल ऊचाई लगभग -24 मी० है। अग्निशामन अधिकारी मॉठ/झांसी की आख्या दिनांक 18-4-2012 को संज्ञान में लेते हुए नीचे अंकित अग्निशामन व्यवस्थाएँ प्रस्तावित की जाती है।

अग्निशामन व्यवस्थाएँ :-

1- प्रत्येक फ्लोर में 2 राइजर 100 एम.एम. के लगाये जायेगे। डाउनकमर सिस्टम। प्रत्येक डाउन कमर के लिए 25000 ली० क्षमता का वाटर स्टोरेज टेरस टैंक निर्मित किया जायेगा। जिसमें 900 ली० प्रति मिनट क्षमता का टेरस पम्प लगाया जायेगा, पम्प टेरस टैंक के बीच में एक गेट वाल्व और एक एनआरबी भी लगाया जायेगा, टेरस टैंक पर ही एयर कुशन टैंक के साथ एयर रिलीज वाल्व लगाया जायेगा, प्रत्येक तल पर लैंडिंग वाल्व होजरील के साथ लगाया जायेगा, होजरील की लम्बाई इतनी रखी जायेगी कि वह 4 फ्लेटों के अन्तिम छोर तक पहुँच सके लैंडिंग वाल्व के पास ही होज बाक्स में 2 डिग्री होज 15-15 मी० के व 14 एम एम की साधारण ब्रांच रखी जायेगी। प्रत्येक होज बाक्स के पास 02 फायर एक्स 0 एबी0सी0 टाइप आई0एस0आई 0 मार्क के लगाये जायेगे तथा प्रत्येक तल पर लैंडिंग वाल्व के पास लावी में मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम लगाया जायेगा। प्रत्येक डाउन कमर के भूतल पर लैंडिंग वाल्व के साथ फायर सर्विस इनलेट को गेट वाल्व लगाया जायेगा। टेरस पम्पों के चेन्ज ओवर स्विच द्वारा जनरेटर बैक अप पर किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। वॉरकेल के वाईपाट पर एक लैंडिंग वाल्व भी लगाया जायेगा। जिसमें आवश्यकता पडने पर वॉरकेल से सीधे पानी प्राप्त किया जा सकता है। सम्बन्धित भवन के आगे की ओर सेटबैक के स्म में 12 मी० तथा सामने दोनों साइडों में 6-6 मी० तथा पीछे की ओर 6 मी० खुला स्थान छोड़कर रखा जायेगा।


अग्निशामन व्यवस्था के स्म में सम्बन्धित स्थल पर 50,000 ली का वाटर स्टोरेज टैंक तथा 50000 ली० क्षमता का टेरस टैंक के अतिरिक्त 450 ली० क्षमता का 01 इलैक्ट्रिक व 01 डीजल पम्प तथा 180 ली० प्रति मिनट क्षमता का 01 अन्य इलैक्ट्रिक पम्प। जॉकी पम्प। लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त आटोमेटिक डिटेक्टा एण्ड एलार्म सिस्टम तथा मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम क्वेटराइजर होजरील एवं फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किये जायेगे। तथा प्रत्येक 60 मी० की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की जायेगी।


उपलब्ध कराये गये मानचित्र वर्णित प्राविधानित शर्तों के अधीन अनुमोदित किये जाते है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कराये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन को उपयोग में लाने से पूर्व उमर अंकित प्रस्तावित अग्निशामन व्यवस्थाएँ पूर्ण करके पुनः इस विभाग द्वारा फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ताकि प्रस्तावित

दांचागत अग्निशामन व्यवस्थाएँ फिक्स्ड फायर फाइटिंग व पोर्टेबल अग्निशामन सुरक्षा व्यवस्थाएँ की सुदृढता का आकलन किया जा सके ।

अन्वेषण भावन का उपयोग पूरी तरह से वैधा व असुरक्षित होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व भावन स्वामी, भावन का उपयोग करने वाले अधिवासियों एवं विल्डरों का संयुक्त स्म से होगा ।

सलग्नक:- अनुमोदित मानचित्र - २ अक्ष

अग्नि  अधिकारी  
झाँसी (उ० प्र०)

  
महवीर सिंह  
मुख्य अग्निशामन अधिकारी  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
जालीम